



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 23 जून, 2020

आषाढ़ 2, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 2/2020-576-तीस-4-2020-8(19)-2018टी०सी०

लखनऊ: 23 जून, 2020

अधिसूचना

सा०प०नि०-39

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 1996/30-4-09-8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह भी कि उत्तर प्रदेश में विनिर्मित इलेक्ट्रिक यानों के लिये सारणी के क्रमांक 1, के सम्मुख स्तम्भ (2) में उल्लिखित मोटर यानों को स्तम्भ संख्या 3 में विनिर्दिष्ट कर के संदाय से शत-प्रतिशत छूट प्रदान किया जायेगा और क्रमांक 2 के सम्मुख स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित मोटर यानों को स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कर पर पचहत्तर प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

उपर्युक्त छूट, उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, विक्रीत तथा रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के प्रथम एक लाख इलेक्ट्रिक यानों पर लागू होगी।”

स्पष्टीकरण: इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रिक यान का तात्पर्य उन समस्त मोटर यानों (आटोमोबाइल्स) से है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से बैटरी, अल्ट्रा कैपेसिटर्स अथवा फ्यूल सेल्स से चालित हों। इसमें समस्त 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एवं 4-व्हीलर हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचवीवी), इलेक्ट्रिक व्हीकिल-इन प्लग (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक यान (बीईवी) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक यान (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2/2020/576/ XXX-4-2020-8(19)-2018TC, dated June 23, 2020:

No. 2/2020/576/ XXX-4-2020-8(19)-2018TC

Dated Lucknow June 23, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (UP Act no. 21 of 1997), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notifications no. 1996/XXX-4-09/8(19)-09, dated October 28, 2009 as amended from time to time.

AMENDMENT

IN the aforesaid notification after the second proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided also that the motor vehicle mentioned in column no. 2 against serial no. 1 of the table shall be given hundred percent exemption from the payment of tax specified in column no. 3 and motor vehicles mentioned in column no. 2 against serial no. 2 of the table shall be given 75 percent exemption of the tax specified in column no. 3, for electric vehicles manufactured in Uttar Pradesh.

The above exemption is applicable on first one lac electric vehicles of all categories manufactured, sold and registered in Uttar Pradesh."

Explanation: For the purposes of this proviso, Electric vehicle (EV) means to all those motor vehicles (automobiles) driven by batteries, ultra-capacitors or fuel cells using electric motors. It includes all 2-Wheeler, 3- Wheeler and 4- Wheeler hybrid electric vehicles (HEVs), electric vehicle-in plugs (PHEVs), battery electric vehicles (BEVs) and fuel cell electric vehicles (FCEVs).

By order,

RAJESH KUMAR SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 113 राजपत्र-(हि०)-2020-(228)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० परिवहन-2020-(229)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।